राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 27.04.2022

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग
आई.टी. भवन, जयपुर ।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का पोर्टल बन्द करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणा वर्ष 2022–2023 " खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गेंहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Securtiy Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्व परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मै, घोषणा करता हूँ ।"

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जाने हेतु दिनांक 01.04.2022 को पोर्टल खोले जाने के आदेश जारी किये गये थे । चूंकि बजट घोषणा अनुसार 10 लाख नये परिवार जोड़े जाने है एवं दिनांक 26.04.2022 तक लगभग 9.30 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके है ।

अतः ई–मित्र के माध्यम से NFSA के आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 30.04.2022 को मध्यरात्रि से आगामी आदेशों तक बन्द किये जाने की कार्यवाही कराने का श्रम करें ।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव, खाद्य

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 27.04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (ई–पीडीएस/ई–पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार गुप्ता)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव